

राजस्थान सरकार
सामान्य प्रशासन (ग्रुप-2) विभाग

क्रमांक :— प.1(1)साप्र / 2 / 2014

जयपुर, दिनांक २५ जून, 2014

—: आदेश :—

श्री महेन्द्र भारद्वाज, मिडिया सलाहकार, मुख्यमंत्री राजस्थान, जयपुर जिनकी प्रथम श्रेणी की वरीयता संख्या 18/2014 है तथा इनका निजी आवास (164/110, हल्दीघाटी मार्ग, प्रताप नगर, जयपुर) होने की स्थिति इनके निवास हेतु राजकीय आवास आवंटन नियम, 1958 के नियम 27 में शिथिलन प्रदान करते हुए “आउट ऑफ टर्न” के आधार पर राजकीय आवास संख्या 1/ए/3 तृतीय तल, बहुमंजिला गांधीनगर जयपुर का नियमानुसार साधारण किराये के तीन गुणा किराया भुगतान की शर्त पर निम्नलिखित शर्तों के आधार पर उक्त पद पर बने रहने तक के लिए एतद्वारा आवंटन किया जाता है :—

शर्तः—

1. आवास का कब्जा आवास आवंटन के 8 दिवस में लिया जायेगा। इस अवधि में कब्जा न लेने पर आवंटन आदेश स्वतः निरस्त समझा जावेगा।
2. उक्त आवास का किराया राजस्थान सिविल सेवा निवास स्थान के किराये का अवधारण और वसूली नियम, 1958 के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार वसूल होगा।
3. पदमुक्त उपरान्त आवास रिक्त करना होगा।
4. उपरोक्त के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अन्य शर्त भी मान्य होगी।

राज्यपाल की आज्ञा से,


(राकेश श्रीवास्तव)
अतिरिक्त मुख्य सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :—

1. सम्भागीय आयुक्त, जयपुर।
2. श्री महेन्द्र भारद्वाज, मिडिया सलाहकार, मुख्यमंत्री राजस्थान, जयपुर
3. जिला कलक्टर, जयपुर।
4. संयुक्त शासन सचिव, कार्मिक (क-1) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर को उनकी आज्ञा संख्या प. 9 (6) कार्मिक (क-1)/2013 दिनांक 27.2.2014 के क्रम में।
5. परियोजना, निदेशक राजस्थान राज्य सङ्कर विकास एवं निर्माण निगम लिंगूनिट-4, झालाना झूँगरी आगरा रोड, जयपुर।
6. निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव, सम्पदा विभाग, मिनी सचिवालय, जयपुर।
7. मुख्य अभियन्ता (भवन), सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान, जयपुर।
8. विशेषाधिकारी (एस), मुख्यमंत्री कार्यालय, जयपुर
9. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव को उनके आईडी संख्या 3241/सीएस/1/14 दिनांक 6.6.2014 के क्रम में।
10. वित्तीय सलाहकार, कार्मिक (ग) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
11. कोषाधिकारी, कोष कार्यालय, शासन सचिवालय, जयपुर।
12. अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग नगर खण्ड —ा, जयपुर को

उनके पत्र क्रमांक 954 दिनांक 18.6.2014 के क्रम में।

13. अधिशाषी अभियन्ता जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, गांधीनगर, जयपुर।

14. अधिशाषी अभियन्ता, जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, गांधीनगर, जयपुर

15. संबंधित विभागाध्यक्ष/आहरण वितरण अधिकारी को भेजकर लेख है कि आवंटित आवास का नियमानुसार किराया कटौती की कार्यवाही को सुनिश्चित कराये।

16. निदेशक, उद्यान विज्ञ, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर।

17. सहायक प्रोग्रामर, सामान्य प्रशासन विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर-कृपया वेबसाईट पर अपडेट कराने का श्रम करावे।

18. सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, चौकी, गांधीनगर, जयपुर। कृपया आदेश की एक प्रति नोटिस बोर्ड पर चर्पा करावे।

19. शासन सहायक सचिव, सामान्य प्रशासन (ग्रुप-5) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।

20. वरिष्ठ लेखाधिकारी, सामान्य प्रशासन (ग्रुप-4) विभाग को उनके पत्र संख्या एफ-21 (3) साप्र/ग्रुप-4/08 दिनांक 4.6.2014 के क्रम में।

21. शासन सहायक सचिव/अनुभागाधिकारी सामान्य प्रशासन (ग्रुप-1,3,6,) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।

22. प्रबंधक, विश्राम भवन, जयपुर।

23. प्रबंधक, ट्रांजिट हॉस्टल, जयपुर।

24. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, साप्रवि।

25. रक्षित पत्रावली।

(राजवं जैन)

संयुक्त शासन | सचिव



राजस्थान सरकार
सामान्य प्रशासन (ग्रुप-2) विभाग

क्रमांक :— प.1(1)साप्र / 2 / 2013

जयपुर, दिनांक 24 जून, 2014

—: आदेश :—

श्री गिरिराज सिंह, आई०ए०एस., प्रमुख शासन सचिव, श्रम एवं नियोजन विभाग, जयपुर जिनकी प्रथम श्रेणी की वरियता संख्या 22/05 तथा सेवानिवृत्ति दिनांक 30.4.2021 है, के आधार पर उनके निवास हेतु राजकीय आवास संख्या 1/ए/2 द्वितीय तल, बहुमंजिला गांधीनगर जयपुर का नियमानुसार साधारण किराया दर भुगतान की शर्त पर निम्नलिखित शर्तों के आधार पर एतद्वारा आवंटन किया जाता है :—

शर्तः—

1. आवास का कब्जा आवास आवंटन के 8 दिवस में लिया जायेगा। इस अवधि में कब्जा न लेने पर आवंटन आदेश स्वतः निरस्त समझा जावेगा।
2. उक्त आवास का किराया राजस्थान सिविल सेवा निवास स्थान के किराये का अवधारण और वसूली नियम, 1958 के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा समय—समय पर जारी आदेशों के अनुसार वसूल होगा।
3. सेवानिवृत्ति पश्चात् आवास रिक्त करना होगा।
4. जयपुर से बाहर स्थानान्तरण हो जाने पर इस विभाग को सूचित करना होगा तथा कार्यमुक्त होने की तिथि से एक माह पश्चात् आवास रिक्त करना होगा।
5. चूंकि उक्त अधिकारी को राजकीय आवास का आवंटन किया जा चुका है। अतः राजकीय आवास आवंटन नियम, 1958 के नियम 11(गा)ए के अनुसरण में आवास के आवंटन तिथि से 8 दिवस में आवंटन स्वीकार करने में असफल रहने की तारीख से 6 माह की कालावधि तक अगले आवंटन तक के लिए पात्र नहीं रहेगा। 6 माह की समाप्ति पश्चात् उसे प्रतीक्षा सूची में अपनी मूल स्थिति में पुनः लाया जा सकेगा। उसका मकान किराया भत्ता यदि उस क्षेत्र में अनुज्ञेय हो तो रोक दिया जायेगा।
6. सम्बन्धित विभागाध्यक्ष/आहरण वितरण अधिकारी— कृपया आवंटी के द्वारा आवास का आवास के रिक्त होने की तिथि से 8 दिवस में लिया जायेगा। अन्यथा निर्धारित अवधि उपरान्त आवंटी अधिकारी का मकान किराया भत्ता बन्द करने के आदेश प्रसारित कर प्रति इस विभाग को भिजवाने का श्रम करावें।
7. उपरोक्त के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा समय—समय पर जारी अन्य शर्त भी मान्य होगी।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(राकेश श्रीवार्तव)
अतिरिक्त मुख्य सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :—

1. सम्भागीय आयुक्त, जयपुर।
2. श्री गिरिराज सिंह, आई०ए०एस., प्रमुख शासन सचिव, श्रम एवं नियोजन विभाग, जयपुर।
3. जिला कलक्टर, जयपुर।
4. संयुक्त शासन सचिव, कार्मिक (क-1) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर को उनकी आज्ञा संख्या प. 9 (6) कार्मिक (क-1)/2013 दिनांक 27.2.2014 के क्रम में।
5. परियोजना, निदेशक राजस्थान राज्य सड़क विकास एवं निर्माण निगम लिंग.

यूनिट-4, झालाना डूंगरी आगरा रोड़, जयपुर।

6. निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव, सम्पदा विभाग, मिनी सचिवालय, जयपुर।
7. मुख्य अभियन्ता (भवन), सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान, जयपुर।
8. विशेषाधिकारी (एस), मुख्यमंत्री कार्यालय, जयपुर
9. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव को उनके आईडी संख्या 3241/सीएस/T/14 दिनांक 6.6.2014 के क्रम में।
10. वित्तीय सलाहकार, कार्मिक (ग) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
11. कोषाधिकारी, कोष कार्यालय, शासन सचिवालय, जयपुर।
12. अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग नगर खण्ड -गा, जयपुर को उनके पत्र क्रमांक 954 दिनांक 18.6.2014 के क्रम में।
13. अधिशाषी अभियन्ता जन स्वार्थभिवि, गांधीनगर, जयपुर।
14. अधिशाषी अभियन्ता, जयपुर विविभिन्न लिंग, गांधीनगर, जयपुर
15. संबंधित विभागाध्यक्ष/आहरण वितरण अधिकारी को भेजकर लेख है कि आवंटित आवास का नियमानुसार किराया कटौती की कार्यवाही को सुनिश्चित करायें।
16. निदेशक, उद्यान विज्ञ, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर।
17. सहायक प्रोग्रामर, सामान्य प्रशासन विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर— कृपया वेबसाईट पर अपडेट कराने का श्रम करावें।
18. सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, चौकी, गांधीनगर, जयपुर। कृपया आदेश की एक प्रति नोटिस बोर्ड पर चर्पा करावें।
19. शासन सहायक सचिव, सामान्य प्रशासन (ग्रुप-5) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
20. वरिष्ठ लेखाधिकारी, सामान्य प्रशासन (ग्रुप-4) विभाग को उनके पत्र संख्या एफ-21 (3) साप्र/ग्रुप-4/08 दिनांक 4.6.2014 के क्रम में।
21. शासन सहायक सचिव/अनुभागाधिकारी सामान्य प्रशासन (ग्रुप-1,3,6,) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
22. प्रबंधक, विश्राम भवन, जयपुर।
23. प्रबंधक, ट्रांजिट हॉस्टल, जयपुर।
24. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, साप्रवि।
25. रक्षित पत्रावली।

(राजीव जैन)
संयुक्त शासन सचिव



राजस्थान सरकार
सामान्य प्रशासन (ग्रुप-2) विभाग

क्रमांक :— प.1(1)साप्र / 2 / 2013

जयपुर, दिनांक ५ जून, 2014

—: आदेश :—

श्री एन. मोरिस बाबू आईपीएस, अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, एन्टी ह्यूमन ट्राफिकिंग जयपुर ज़िनकी प्रथम श्रेणी की वरियता संख्या 13/05 तथा सेवानिवृत्ति दिनांक 30.9.2018 है, के आधार पर उनके निवास हेतु इस विभाग के आदेश संख्या प. 1 (1) साप्र / 2 / 2013 दिनांक 21.3.2014 के द्वारा आवंटित किया गया राजकीय आवास संख्या 20-एफ, हीराबाग, जयपुर के स्थान पर राजकीय आवास संख्या I/ए/1 प्रथम तल, बहुमंजिला गांधीनगर जयपुर का नियमानुसार साधारण किराया दर भुगतान की शर्त पर निम्नलिखित शर्तों के आधार पर एतदद्वारा आवंटन किया जाता है :—

शर्तेः—

1. आवास का कब्जा आवास आवंटन के 8 दिवस में लिया जायेगा। इस अवधि में कब्जा न लेने पर आवंटन आदेश स्वतः निरस्त समझा जावेगा।
2. उक्त आवास का किराया राजस्थान सिविल सेवा निवास स्थान के किराये का अवधारण और वसूली नियम, 1958 के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार वसूल होगा।
3. सेवानिवृत्ति पश्चात् आवास रिक्त करना होगा।
4. जयपुर से बाहर स्थानान्तरण हो जाने पर इस विभाग को सूचित करना होगा तथा कार्यमुक्त होने की तिथि से एक माह पश्चात् आवास रिक्त करना होगा।
5. चूंकि उक्त अधिकारी को राजकीय आवास का आवंटन किया जा चुका है। अतः राजकीय आवास आवंटन नियम, 1958 के नियम 11 (ग) ए के अनुसरण में आवास के आवंटन तिथि से 8 दिवस में आवंटन स्वीकार करने में असफल रहने की तारीख से 6 माह की कालावधि तक अगले आवंटन तक के लिए पात्र नहीं रहेगा। 6 माह की समाप्ति पश्चात् उसे प्रतीक्षा सूची में अपनी मूल स्थिति में पुनः लाया जा सकेगा। उसका मकान किराया भत्ता यदि उस क्षैत्र में अनुज्ञेय हो तो रोक दिया जायेगा।
6. सम्बन्धित विभागाध्यक्ष/आहरण वितरण अधिकारी— कृपया आवंटी के द्वारा आवास का आवास के रिक्त होने की तिथि से 8 दिवस में लिया जायेगा। अन्यथा निर्धारित अवधि उपरान्त आवंटी अधिकारी का मकान किराया भत्ता बन्द करने के आदेश प्रसारित कर प्रति इस विभाग को भिजवाने का श्रम करावें।
7. उपरोक्त के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अन्य शर्तें भी मान्य होगी।

राज्यपाल की आज्ञा से,


(राकेश श्रीवास्तव)
अतिरिक्त मुख्य सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :—

1. महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर।
2. सभागीय आयुक्त, जयपुर।

3. श्री एन. मोरिस बाबू आईपीएस, अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, एन्टी हयूमन ट्राफिकिंग जयपुर।
4. श्री एन. मोरिस बाबू आई.पी.एस. निवासी-गा/60, एवीएस, गांधीनगर, जयपुर को भेजकर निवेदन है कि आवंटित आवास का कब्जा लेकर पूर्व आवंटित आवास रिक्त कर सूचित करावें।
5. जिला कलक्टर, जयपुर।
6. संयुक्त शासन सचिव, कार्मिक (क-1) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
7. परियोजना, निदेशक राजस्थान राज्य सङ्क विकास एवं निर्माण निगम लिलो यूनिट-4, झालाना डूंगरी आगरा रोड, जयपुर।
8. निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव, सम्पदा विभाग, मिनी सचिवालय, जयपुर।
9. मुख्य अभियन्ता (भवन), सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान, जयपुर।
10. विशेषाधिकारी (एस), मुख्यमंत्री कार्यालय, जयपुर।
11. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव को उनके आईडी संख्या 3241/सीएस/1/14 दिनांक 6.6.2014 के क्रम में।
12. मुख्य लेखाधिकारी, कार्यालय अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, एन्टी हयूमन ट्राफिकिंग जयपुर।
13. कोषाधिकारी, कोष कार्यालय, जयपुर शहर, जयपुर।
14. अधिशासी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग नगर खण्ड -गा, जयपुर को उनके पत्र क्रमांक 954 दिनांक 18.6.2014 के क्रम में।
15. अधिशासी अभियन्ता जनस्वास्थ्यमिति, गांधीनगर, जयपुर।
16. अधिशासी अभियन्ता, जयपुर विविभाग लिलो, गांधीनगर, जयपुर।
17. संबंधित विभागाध्यक्ष/आहरण वितरण अधिकारी को भेजकर लेख है कि आवंटित आवास का नियमानुसार किराया कटौती की कार्यवाही को सुनिश्चित करायें।
18. निदेशक, उद्यान विज्ञ, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर।
19. सहायक प्रोग्रामर, सामान्य प्रशासन विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर— कृपया वेबसाईट पर अपडेट कराने का श्रम करावें।
20. सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, चौकी, गांधीनगर/हीराबाग, जयपुर। कृपया आदेश की एक प्रति नोटिस बोर्ड पर चर्चा करावें।
21. शासन सहायक सचिव, सामान्य प्रशासन (ग्रुप-5) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
22. वरिष्ठ लेखाधिकारी, सामान्य प्रशासन (ग्रुप-4) विभाग को उनके पत्र संख्या एफ-21 (3) साप्र/ग्रुप-4/08 दिनांक 4.6.2014 के क्रम में।
23. शासन सहायक सचिव/अनुभागाधिकारी, सामान्य प्रशासन (ग्रुप-1,3,6,) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
24. प्रबंधक, विश्राम भवन, जयपुर।
25. प्रबंधक, ट्रांजिट हाँस्टल, जयपुर।
26. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, साप्रवि।
27. रक्षित पत्रावली।

(राजीव जैन)
संयुक्त शासन सचिव

४

राजस्थान सरकार
सामान्य प्रशासन (ग्रुप-2) विभाग

क्रमांक :— प.1(साप्र/2/2014)

जयपुर, दिनांक ५ जून, 2014

—: आदेश :—

श्रीमती श्रुति शर्मा, आई.एफ.एस., मुख्य वन संरक्षक सिल्वीकल्चर, जयपुर जिनकी प्रथम श्रेणी की वरियता संख्या 5/08 तथा सेवानिवृत्ति दिनांक 31.7.2021 है, के आधार पर उनके निवास हेतु राजकीय आवास संख्या 20-एफ, हीराबाग, जयपुर का नियमानुसार साधारण किराया दर भुगतान की शर्त पर निम्नलिखित शर्तों के आधार पर एतद्वारा आवंटन किया जाता है :—

शर्तः—

1. आवास का कब्जा आवास आवंटन के 8 दिवस में लिया जायेगा। इस अवधि में कब्जा न लेने पर आवंटन आदेश स्वतः निरस्त समझा जावेगा।
2. उक्त आवास का किराया राजस्थान सिविल सेवा निवास स्थान के किराये का अवधारण और वसूली नियम, 1958 के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार वसूल होगा।
3. सेवानिवृत्ति पश्चात् आवास रिक्त करना होगा।
4. जयपुर से बाहर स्थानान्तरण हो जाने पर इस विभाग को सूचित करना होगा तथा कार्यमुक्त होने की तिथि से एक माह पश्चात् आवास रिक्त करना होगा।
5. चूंकि उक्त अधिकारी को राजकीय आवास का आवंटन किया जा चुका है। अतः राजकीय आवास आवंटन नियम, 1958 के नियम 11 (ग) ए के अनुसरण में आवास के आवंटन तिथि से 8 दिवस में आवंटन स्वीकार करने में असफल रहने की तारीख से 6 माह की कालावधि तक अगले आवंटन तक के लिए पात्र नहीं रहेगा। 6 माह की समाप्ति पश्चात् उसे प्रतीक्षा सूची में अपनी मूल स्थिति में पुनः लाया जा सकेगा। उसका मकान किराया भत्ता यदि उस क्षेत्र में अनुज्ञेय हो तो रोक दिया जायेगा।
6. सम्बन्धित विभागाध्यक्ष/आहरण वितरण अधिकारी— कृपया आवंटी के द्वारा आवास का आवास के रिक्त होने की तिथि से 8 दिवस में लिया जायेगा। अन्यथा निर्धारित अवधि उपरान्त आवंटी अधिकारी का मकान किराया भत्ता बन्द करने के आदेश प्रसारित कर प्रति इस विभाग को भिजवाने का श्रम करावें।
7. उपरोक्त के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अन्य शर्तें भी मान्य होगी।

राज्यपाल की आज्ञा से,

७-

(राकेश श्रीवास्तव)
अतिरिक्त मुख्य सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :—

1. सभागीय आयुक्त, जयपुर।
2. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान, जयपुर।
3. श्रीमती श्रुति शर्मा, आई.एफ.एस., मुख्य वन संरक्षक सिल्वीकल्चर, जयपुर।
4. जिला कलक्टर, जयपुर।
5. संयुक्त शासन सचिव, कार्मिक (क-1) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर को उनकी आज्ञा संख्या प. 9 (6) कार्मिक (क-1)/2013 दिनांक 27.2.2014 के क्रम में।
6. परियोजना, निदेशक राजस्थान राज्य सङ्कर विकास एवं निर्माण निगम लिंगूनिट-4, झालाना डूंगरी आगरा रोड, जयपुर।

यूनिट-4, झालाना ढूंगरी आगरा रोड, जयपुर।

7. निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव, सम्पदा विभाग, मिनी सचिवालय, जयपुर।
8. मुख्य अभियन्ता (भवन), सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान, जयपुर।
9. विशेषाधिकारी (एस), मुख्यमंत्री कार्यालय, जयपुर
10. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव को उनके आईडी संख्या 3241 / सीएस / T / 14 दिनांक 6.6.2014 'के क्रम में।
11. क्षीय सलाहकार, कार्मिक (ग) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
12. कोषाधिकारी, कोष कार्यालय, शासन सचिवालय, जयपुर।
13. अधिशासी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग नगर खण्ड -ा, जयपुर।
14. अधिशासी अभियन्ता जन स्वास्थ्य विभाग / हीराबाग, जयपुर।
15. अधिशासी अभियन्ता, जयपुर विभाग लिंगपुर, गांधीनगर / हीराबाग, जयपुर।
16. संबंधित विभागाध्यक्ष / आहरण वितरण अधिकारी को भेजकर लेख है कि आवंटित आवास का नियमानुसार किराया कटौती की कार्यवाही को सुनिश्चित करायें।
17. निदेशक, उद्यान विज्ञ, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर।
18. सहायक प्रोग्रामर, सामान्य प्रशासन विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर— कृपया वेबसाईट पर अपडेट कराने का श्रम करावें।
19. सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, चौकी, हीराबाग, जयपुर। कृपया आदेश की एक प्रति नोटिस बोर्ड पर चर्चा करावें।
20. शासन सहायक सचिव, सामान्य प्रशासन (ग्रुप-५) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
21. वरिष्ठ लेखाधिकारी, सामान्य प्रशासन (ग्रुप-४) विभाग को उनके पत्र संख्या एफ-21 (३) साप्र/ग्रुप-४/०८ दिनांक 4.6.2014 के क्रम में।
22. शासन सहायक सचिव / अनुभागाधिकारी सामान्य प्रशासन (ग्रुप-१, ३, ६) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
23. प्रबंधक, विश्राम भवन, जयपुर।
24. प्रबंधक, ट्रांजिट हॉस्टल, जयपुर।
25. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, साप्रवि।
26. रक्षित पत्रावली।

(राजीव जैन)
संयुक्त शासन सचिव